

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17747/2021 सचिन झाडोलिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउप्रावि, खेड़ली बहादुर, लक्ष्मणगढ़, जिला-अलवर में अध्यापक लेवल-2 के पद पर कार्यरत है, जबकि याचिकार्थी को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में आरक्षित सूची से चयनित होने पर उदयपुर संभाग आवंटित किया गया। याचिकार्थी का कथन है कि भरतपुर संभाग में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के बहुत से पद रिक्त हैं। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रिक्त पदों के आधार पर उदयपुर मण्डल से भरतपुर जिले (भरतपुर मण्डल) में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 विभिन्न विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा मुख्य सूची में चयनित एवं अभिस्वावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन उपरान्त निर्धारित समय सीमा तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध संभाग में कार्यग्रहण नहीं करने की संख्या तक चयनित एवं आवेदित वर्ग तथा प्राथमिकता विकल्प के आधार पर संभाग आवंटन किया जाता है। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सूक्ष्म नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में रिक्त पदों के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

PT/14  
(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 05/04/22

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13288/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. याचिकार्थी सचिन झाडोलिया, अध्यापक ग्रेड III, राउप्रावि, खेड़ली बहादुर, लक्ष्मणगढ़, जिला-अलवर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)